RAEBARELI POLICE

दिनांक 01 दिसम्बर 2025 **थाना मिलएरिया**

गैर इरादतन हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 25 नवंबर 2025 को वादी रोहित कुमार यादव पुत्र रामबरन यादव निवासी ग्राम पुरे हीरालाल का पुरवा मुजरे संधीराम ने थाना मिलएरिया पर लिखित तहरीर देकर बताया कि 24/25.11.2025 की रात्रि में शादी समारोह में बैंड बाजे को लेकर विपक्षीगण 1.अर्जुन पुत्र नाथू निवासी ग्राम कैथल का पुरवा थाना मिलएरिया 2. सौरभ पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम कसरेहला थाना चंदापुर ने उसके पिता रामबरन यादव को बहुत मारा पीटा है जिसके उनको गंभीर चोट आई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मिल एरिया पर **मुकदमा अपराध संख्या - 468/2025 धारा - 115(2)/110 बीएनएस** अभियोग पंजीकृत किया गया। जांच एवं विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित थी।मृतक रामबरन उपरोक्त की दौराने इलाज अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।

इसी क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर 2025 को थाना मिलएरिया पुलिस टीम द्वारा **मु0अ0सं0 468/2025 तरमीम धारा 105 बीएनएस** के वांछित/प्रकाश में आए अभियुक्त **वरुण कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी पूरे हीरालाल का पुरवा मजरे संदीराम थाना मिलएरिया जनपद रायबरेली** को थाना क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। जिसके विरूद्ध थाने पर विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया है।

नाम पता अभियुक्तः-

वरुण कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी पूरे हीरालाल का पुरवा मजरे संदीराम थाना मिलएरिया जनपद रायबरेली

बरामदगीः-

01 अदद लकड़ी की डण्डा (आलाकत्ल)

गिरफ्तार करने वाली थाना मिलएरिया पुलिस टीम-

1.उ0नि0 शैलेन्द्र सिंह

2.आ0 कपिल कुमार

मीडिया सेल रायबरेली